7714

I-7714

12

12

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

SUB TREASURY OFFICER

B. P. SHARMA

HAPUR

6718

4912

फोटो प्रमाणित

चौ0 वीरेन्द्र सिंह

बैनामा लेखक त0 हापुड

विक्रय विलेख प्लाट

क्षेत्र	–	
बैनामा अंकन	–	1,39,025/-
सरकारी कीमत	–	1,39,025/-
स्टाम्प शुल्क	–	11,124/-
आ. वि. शुल्क	–	2,781/-
कुल	–	14,100/-

[अंकन 6,500/- रुपये का स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्री इकरारनामा दिनांक 04-08-2006 दस्तावेज नम्बर 6597 को एवं शेष अंकन 7,600/- रुपये का स्टाम्प शुल्क आज अदा किया गया है]

हम कि मरगूब त्यागी पुत्र श्री सईदुल्ला खाँ व असदुल्ला खाँ पुत्र स्व. वहीदुल्ला खाँ निवासीगण 1510, भण्डा पट्टी हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबादअन्तरणकर्ता (विक्रेता) व

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये   ONE THOUSAND RUPEES

6 SEP 2006

S. P. SHARMA

HAPUR

4895

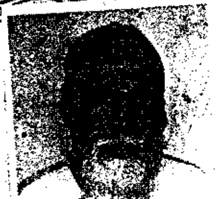

फोटो प्रमाणित

चौ० वीरेन्द सिंह

बैनामा लेखक हापुड़

सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि. बी-98 अबुल फजल अपार्टमेन्ट 22, वसुन्धरा एन्कलेव, दिल्ली 110096 द्वारा अधिकृत मैनेजर मनोज मणि चतुर्वेदी पुत्र श्री यू.एस. चतुर्वेदी निवासी बी-1/64, कमर्शियल काम्पलैक्स सैक्टर - 50, नोएडा अन्तरिति (क्रेता)।

विदित हो कि एक नग प्लाट जिसका पूर्ण विवरण अगले खण्ड में दिया गया है, जिसका अन्तरणकर्ता मालिक स्वामी काबिज व हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकारी है जो कि आज दिन तक हर प्रकार के भार से मुक्त है तथा विवाद रहित है, बैंक लोन व जमानत सरकारी व गैर सरकारी आदि-आदि से पाक साफ है कोई वैधानिक या अवैधानिक आपत्ति प्लाट को विक्रय करने में नहीं हैं अब अन्तरणकर्ता ने अपने निम्न प्लाट को विक्रय करना तय किया है कि जिसको अन्तरिति अन्तरणकर्ता को उचित बाजारू मूल्य देकर खरीद रहे है निम्न प्लाट का अब सर्व

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

6 SEP 2006
S. P. SHARMA
• HAPUR •

फोटो प्रमाणित
चौ0 वीरेन्द्र सिं
बैनामा लेखक तह0 हापुड़

4896

अधिकार व स्वत्व हर प्रकार भूतल बर्ताव भूमि करने आबादी बनाने मकान आदि रखनें निवास आवागमन मार्ग, प्रकाश, वायु, पानी, परनाला आदि आदि को स्वेच्छा प्रसन्नता व स्वस्थ मनोबुद्धि की दशा में बिना दबाव बदले अंकन **1,39,025/-** रुपये आधे जिसके **69,512.50** रुपये होते है, हाथ अन्तरिति के हक में पूर्ण प्रकार से विक्रय किया, उक्त कुल मूल्य मे से **80,000/-** रुपये रजिस्ट्री इकरारनामा व शेष **59,025/-** रुपये <u>पेशगी</u> **प्राप्त करके विक्रीत भूमि पर** अन्तरिति महोदय को अपने समान मालिक, स्वामी व काबिज करा दिया, अधिकार का परिवर्तन हो गया है, अब अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता का विक्रय प्लाट मे कोई हक व हिस्सा शेष नही बचा है और ना ही उसके मूल्य के सम्बन्ध में साथ अन्तरिति कोई वाद-विवाद किसी प्रकार का शेष नही रहा है और न ही भविष्य में माना व समझा जायेगा फिर भी विक्रीत भूमि यदि किसी के वाद-विवाद के कारण कुल या जुज भाग विक्रय भूमि अन्तरिति के अधिकार एवं कब्जे से निकल

500Rs.

SUB TREASURY OFFICE
6 SEP 2006
ACCOUNTANT
HAPUR

लावे या अपना अधिकार सुरक्षित रखने के कारण अन्तरिति को कुछ और रुपया देना पडे या विक्रीत भूमि किसी प्रकार के आड बय लोन आदि से ग्रस्त पायी जाती है या अन्तरणकर्ता इस विक्रय को करने के अधिकारी सिद्ध न हो तो ऐसी प्रत्येक दशा में अन्तरिति को अधिकार रहेगा कि वह प्लाट का बाजारु मूल्य या वह रुपया जो कि उसको और देना पड़ा हो, मय हर्जा-खर्चा व ब्याज दर कानूनी सहित नियमानुसार अन्तरणकर्ता व वारिसान अन्तरणकर्ता की चल-अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले, अन्तरणकर्ता को कोई विरोध नहीं होगा, अन्तरिति प्लाट में अपनी तामीर के द्वार, जंगले, मोरी, नाली, परनाले, झांप आदि-आदि रास्ते की ओर को रखेगा, अन्य किसी ओर को नहीं रखेगा, अन्तरिति अपनी इच्छानुसार प्लाट मे एक मंजिला व दोमंजिला निर्माण करावे इसमे अन्तरणकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियां जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को लेखपत्र मे सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 778827

विवरण भूमि विक्रीत 1- स्थित हापुड अन्दर सीमा नगर पालिका हापुड परगना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद मे खसरा संख्या 1484 मि. क्षेत्रफल 79.43 वर्गगज यानि 66.43 वर्गमीटर है, जो इस लेख द्वारा विक्रय है, स्टाम्प शुल्क 1,750/- रुपये प्रतिवर्गगज के हिसाब से अदा किया गया है, कब्जा मौके पर अन्तरिति को करा दिया गया है। प्लाट पर कोई निर्माण ही है। उक्त प्लाट की सीमांऐ सलंग्न नक्शेनुसार है, उक्त प्लाट आवासीय प्रयोजन हेतू क्रय किया गया है।

अतः यह लेख विक्रय-पत्र अपनी स्वेच्छा, प्रसन्नता, सदबुद्धि व चेतन्य मन की अवस्था में बिला दबाव लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

C 778828

मसविदा स्वंय पक्षगण के कहने पर टाइप किया गया है।

ह० गवाह Vinod Kumar S/o Shri M.K. ... B-21/41 Mal...

ह० गवाह अमानुल्ला ... पुत्र हसदुल्ला ... मो० ... हापुड़

मसौदा : चौ. वीरेन्द्र सिंह वसीका नवीस तहसील हापुड

दिनांक : 06-09-2006

चौ० वीरेन्द्र सिंह ...

... 200

I-6497

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs.5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

SUB TREASURY OFFICER

3 AUG 2006

S. P. SHARMA

HAPUR

62

फोटो प्रमाणित

प्रतिज्ञा–पत्र विक्रय

हम कि मरगूब त्यागी पुत्र श्री सईदुल्ला खॉ व असदुल्ला खॉ पुत्र स्व. वहीदुल्ला खॉ निवासीगण 1510, भण्डा पट्टी हापुड परगना व तहसील हापुड जिला गाजियाबाद अन्तरणकर्ता (विक्रेता) प्रथम पक्ष व

सामिया इन्टरनेशनल बिल्डर्स प्रा. लि. बी–98 अबुल फजल अपार्टमेन्ट 22, वसुन्धरा एन्कलेव, दिल्ली 110096 द्वारा अधिकृत मैनेजर मनोज मणि चतुर्वेदी पुत्र श्री यू.एस. चतुर्वेदी निवासी बी–1/64, कमर्शियल काम्पलैक्स सैक्टर – 58, नोएडा अन्तरिति (क्रेता) द्वितीय पक्ष।

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

SUB TR...

S. F. SU...

HAPU...

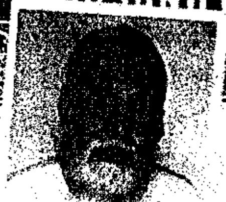

684

2

जों कि निम्न वर्णित सम्पत्ति के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी व अधिपति व विक्रय अधिकारी है। निम्न सम्पत्ति प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार व हस्तान्तरण तथा वैधानिक दोष रहित तथा विक्रय आदि के लिये अन्य महायदा बय आदि से सुरक्षित है। निम्न वर्णित सम्पत्ति का निश्चित मूल्य अंकन **1,39,025/-** रुपये हैं, प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बतौर ब्याना व पार्ट पेमेन्ट अंकन **80,000/-** रुपये पेशगी प्राप्त किया शेष **59,025/-** रुपये प्रथम पक्ष बैनामे के समय द्वितीय पक्ष से प्राप्त करेगा, मै प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के साथ विक्रय करने का अनुबन्ध कर लिया है। अतः दोनो पक्ष व उनके उत्तराधिकारी प्रतिज्ञा-पत्र की धाराओ का पालन करेगे :-

1. यह कि उभय पक्ष के बीच बैनामे कराये जाने के लिये अवधि आज से दिनांक **15-10-2006** तक तय पायी है।

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रूपये FIVE HUNDRED RUPEES

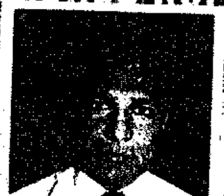

फोटो प्रमाणित
वीरेन्द्र सिंह
लेखक त० हापुड़

५

2. यह कि द्वितीय पक्ष को यह अधिकार होगा कि उक्त निश्चित अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष से इस सम्पत्ति का बैनामा या बैनामेजात अपने अथवा अपनी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति, व्यक्तिगण, फर्म, संस्था या कम्पनी के पक्ष मे एक तिथि या भिन्न-2 तिथि मे करा ले। प्रथम पक्ष ने निश्चित अवधि के अन्दर सम्पत्ति बयतलब का बैनामा द्वितीय पक्ष अथवा उसकी इच्छानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति के पक्ष मे करने पर बहाना या आपत्ति की तो ऐसी दशा मे द्वितीय पक्ष को न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष से सम्पत्ति बयतलब का बैनामा करा लेने का अधिकार होगा। न्यायालय का खर्चा प्रथम पक्ष वहन करेगा। यदि निश्चित अवधि के भीतर द्वितीय पक्ष सम्पत्ति बयतलब का बैनामा नही करा सकेगा तो निश्चित अवधि समाप्त होने के पश्चात द्वितीय पक्ष को अपना धन वापिस पाने अथवा विक्रय-पत्र कराने के लिये वाद योजित कराने का अधिकार न होगा।

3. यह कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इकरारी सम्पत्ति आज दिन तक हर प्रकार के आड, बय, लोन आदि-आदि दोषो से पूर्णतया: मुक्त है। बैनामे के समय जो भी जरूरी कागजात इकरारी सम्पत्ति के सम्बन्ध मे है उनको लाने व उसके खर्चे का दायित्व प्रथम पक्ष विक्रेता का होगा, यह कि यदि सम्पत्ति पर कोई वाद विवाद या लोन आदि पाया जाता है तो इसकी अदायगी व निपटारे की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी।

4. यह कि इकरारी सम्पत्ति पर अंकन 6,500/- रुपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है, जो बैनामा के समय मुजरा किया जायेगा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत ऐसे सभी तथ्य तथा परिस्थितियाँ जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है को लेखपत्र मे सत्यतापूर्वक अंकित कर दिये गये है, कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।

<u>विवरण सम्पत्ति बय तलब</u> 1- स्थित हापुड परगना तहसील हापुड जिला गाजियाबाद मे खसरा संख्या 1484 मि. क्षेत्रफल 79.43 वर्गगज है, जिसका प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हक मे इकरारनामा किया है, इकरारी भूमि का नक्शा संलग्न है।

अत। यह लेख इकरारनामा महायदा बय अपनी स्वेच्छा प्रसन्नता एवं चैतन्य मनोबुद्धि की अवस्था मे बिना किसी दबाव के तहरीर करा दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। नोट– द्वितीय पक्ष बैनामा के निष्पादन से पूर्व कब्जा पाने का अधिकारी नहीं होगा। मसौदा पक्षगण के कहने पर टाइप किया गया है।

ह. गवाह Vimal Vinod [illegible] s/o Shri N.K. [illegible] R-21/41 Noida

ह. गवाह अमानुल्ला खाँ S/ असदुल्ला खाँ [illegible]

मसौदा : चौ. वीरेन्द्र सिंह वसीका नवीस तहसील हापुड
दिनांक : 04-08-2006

[illegible] सिंह दस्तावेज लेखक
वैधिमान्य वर्ष [illegible]
गाजियाबाद